तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२०।११।२५	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल [illegible] की जावे। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. सफेदी पत्नि स्व. चौथी
2. पप्पू पुत्री चौथी
   जाति कोली निवासी वजीरपुर गेट के पास करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. मदनमोहन पुत्र गोपालीराम
2. मनमोहन पुत्र गोपालीराम
3. बजरंग पुत्र गोपालीराम
4. शिवजीप्रसाद पुत्र गोपालीराम
   जाति महाजन निवासीयान वजीरपुर गेट के पास करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 8/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री नवल किशोर** शर्मा एडवाकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री रामरज गुप्ता, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाब किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 4816 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वांके कस्बा करौली पटवार हल्का नं 9 तहसील करौली में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25/11/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक				
मीजान			मीजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:30:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–8/12 तारीख रजु:–02.02.2012

उनवान

1. सफेदी पत्नि स्व. चौथी
2. पप्पू पुत्री चौथी
   जाति कोली निवासी वजीरपुर गेट के पास करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. मदनमोहन पुत्र गोपालीराम
2. मनमोहन पुत्र गोपालीराम
3. बजरंग पुत्र गोपालीराम
4. शिवजीप्रसाद पुत्र गोपालीराम
   जाति महाजन निवासीयान वजीरपुर गेट के पास करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

–::**निर्णय**::– दिनांक:– 25/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं अशोक, महेश पिसरान चौथी एवं मुन्नी व शिवो पुत्रीयान चौथी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 4816 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा करौली तहसील व जिला करौली में वजीरपुर गेट से हाथीघटा की ओर जाने वाले सरकारी नाले के सहारे स्थित है। वादीगण की उक्त आराजी से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 4815 रकबा 4 बिस्वा प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अशोक, महेश मुन्नी एवं शिवों करौली से बाहर होने के कारण दावा हम वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण ने अपनी उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 की चारो ओर से डोल मेड कर रखी है वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य भी वादीगण ने अपनी भूमि में डोल के सहारे पट्टिया लगा रखी थी यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि के वदिशा पश्चिम सरकारी नाला स्थित है जिस नाले में होकर शहर का पानी वजीरपुर गेट से कलेक्ट्रेट जाने वाले सड़क की ओर से हाथीघटा की ओर बहता है। उक्त नाला काफी चौडा होने के कारण सरकारी नाले में पीडब्ल्यू डी द्वारा मेढकी से होकर हाथीघटा के लिए पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और सड़क के दोनों ओर पानी निकास के लिए चौडी नालिया पीडब्ल्यू द्वारा बनाई जानी है। उक्त सडत्रक निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य वर्तमान में चालू है। प्रतिवादीगण ने सड़क व नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही अपनी भूमि खसरा नंबर 4815

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:50:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

के वदिशा पश्चिम सरकारी नाले व सड़क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर एव वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 4816 की डोल–मेड व पटिटयों को कल दिनांक 29.1.2012 को तोड कर वादीगण की भूमि को शामिल करते हुए बाउण्ड्री निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में अवैध अतिक्रमण व निर्माण नहीं करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा कि हम तुम्हारी जमीन में से 5 बिस्वा जमीन को दबाते हुए व सरकारी नाले की करीब 3 बिस्वा जमीन दबाते हुए चारों ओर से बाउण्ड्री करके मैरिज होम का निर्माण करेंगे। प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में अतिक्रमण व अवैध निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और प्रतिवादीगण को सरकारी नाले की भूमि में भी अवैध अतिक्रमण व निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर आघात होगा और वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं करें और वादीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें। प्रतिवादीगण खसरा नंबर 4815 व 4816 के सहारे सरकारी नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने में सफल हो गये तो मौके पर मौजूद नाला व सड़क सकडी हो जावेगी और नाले के पानी का दबाब वादीगण की भूमि पर पडेगा इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को इस आशय के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण सरकारी नाला भूमि खसरा नंबर 4784/1 में कोई अतिक्रमण व अवैध निर्माण नहीं करें। प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 4815 रकबा 4 बिस्वा कृषि भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में कृषि किस्म बारानी दर्ज है विधि अनुसार भूमि रूपान्तरण कराये बिना कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि विरूद्व है और कृषि भूमि में बिना रूपान्तरण निर्माण किया जाना भी विधि विरूद्व है। प्रतिवादीगण खसरा नंबर 4815 व उससे लगी हुई वादीगण की भूमि खसरा नंबर 4816 व सरकारी नाले की भूमि को दबाते हुए अवैध निर्माण कर मैरिज होम अवैध रूप से बनाने की धमकी दे रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये और प्रतिवादीगण ने अपनी कृषि भूमि का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया तो वादीगण को अपनी भूमि के उपयोग एवं कब्जे काश्त में न्यूसेंन्स पैदा होगा प्रतिवादीगण का कृत्य अवैध है। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को इस आशय के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण खसरा नंबर 4815 कृषि भूमि का रूपान्तरण कराये बिना उक्त भूमि में कोई अवैध निर्माण नहीं करें भूमि में व्यवसायिक गतिविधि संचालत नहीं करें एवं उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग उपभोग नहीं करें। वाद कारण दिनांक 29.1.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि खसरा नंबर 4816 की डोल मेड में पट्टिया तोडने पर व हमारी भूमि पर अवैध कब्जा करने व सरकारी नाला भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने एवं खसरा नंबर 4815 की भूमि पर अवैध मैरिज होम निर्माण करने उक्त कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग उपभोग करने की धमकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem P
Date: 2026.04.22 14:50:21
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खैरथल (राजस्थान)

देने पर न्यायालय श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में पैदा हुआ है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 बावजूद उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 4 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 4815 व 4816 का अलमशहूर मैढकी में स्थित होना सही है। जिसमें आराजी खसरा नंबर 4815 का रकबा 4 बिस्वा ना होकर 7 बिसव का है। जिसके खातेदारी इन्द्रजात राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 4816 पर कोई कब्जा कास्त वादीगण का या इससे पूर्व इनके पिता व पति चौथीलाल का उनके जीवन पर्यन्त तक कभी भी आज तक नहीं रहा है, ना ही इन्होंने उक्त आराजी में आज तक कोई काश्त ही की, ना ही किसी प्रकार के कोई हकूक उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 के बाबत आज तक वादीगण या इनके पिता व पति चौथीलाल में निहित रहे, बल्कि सही बात यह है कि उक्त आराजी पूर्व में गै.मु. आबादी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिस गै.मु. आबादी के कुल रकबे को विधि के प्रावधानों के विपरी माग्या हरीजन के नाम से एलोटमेंट कर दिया गया और जिससे फर्जी कूटरचित दस्तावेज वादीगण के पिता व पति चौथीलाल द्वारा तहरीर तकलीम करवाकर अपने हक में वयनामा पंजीयन करवा लिया गया जिसकी जानकारी होने पर उसके पुत्रानों द्वारा उक्त हुये वयनामें को शून्य घोषित करवाकर अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाये जाने हेतु एवं स्थायी घोषणा करवाकर अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाये जाने हेतु एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा मय स्थगन दर0 के माननीय न्यायालय के उनवानी सरवन बनाम सफेदी वगै0 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें तारीख पेशी नियत है ना ही उक्त आराजी की कोई मेढबंदी मौके पर हो रही है बल्कि उक्त आराजी में पचासों कांटेदार दरखत बबूल वगै0 के पेड खडे हुए है एवं झाडियां उग रही है इसके अलावा उक्त आराजी में गंदा पानी भरा होने के कारण कीचड़ भरा हुआ है। जिसमें सुअर व मवेशी पडे रहते है एवं इसी आराजी में होकर आम बस्ती कोली पाडा का बरसाती एवं इस्तेमाीली पानी गै.मु. नाले तक बहता आ रहा है। कभी भी कोई भौतिक कब्जा आज तक वादीगण या इनके पति व पिता चौथीलाल का नहीं रहा है। इस मद में वर्णित जो राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क व उसके दोनों ओर नाली बनाये जाने का तथ्य अभिकथित किया गया है वह भी गलत है, जो सड़क गै.मु. नाले में पानी के नैचुरल बहाव को समाप्त करके सरकार द्वारा बनायी गयी है, वह कतई के प्रावधानों के विपरीत है जिस बाबत आम जनता की ओर से अलग से कार्यवाही सक्षम न्यायालयों में किये जाने हेतु आवश्यक नकल प्राप्त करने पर कार्यवाही की जा रही है, जिन नकलों के प्राप्त होते ही उक्त गै. मु. नाले में बनायी गयी सड़क के बाबत अलग से कार्यवाही की जावेगी। हम प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 4815 में अवैध रूप से सरकारी नाले व सड़क की भूमि को दबाकर ना ही आराजी खसरा नंबर 4816 की आराजी ो अपनी आराजी खसरा नंबर 4815 में शामिल करते हुये बाउण्ड्रीवाल वगै0 बनायेजाने हेतु नींव वगै0 खोदकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.22 14:30:21 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तदाकथित दिनांक 19.01.2012 को या अन्य किसी निांक को आ तक नहीं किया गया, ना ही कोई निर्माण कार्य मौके पर है। जब वादीगण का उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 पर कोई कब्जा है ही नही तो उन्हें हमारे द्वारा उनको धमकी देने का प्रश्न कहां से पैदा हुआ। बल्कि सही बात यह है कि हम प्रतिवादीगण की कभी भी आज तक कोई बातचीत या विवाद वादीगण या उनके दीगर भाई बहिनों से आज तक कभी भी नहीं हुआ, केवल विनाय दावा लेने की बदनियति से वादीगण द्वारा आराजी खसरा नंबर 4815 के पडौसी गिर्राज भी भगत एवं उनके पुत्रानों के वहकावे में आकर अंकित किये गये है। और दावा वादीगण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। हम प्रतिवादीगण द्वारा जब कोई अनाधिकृत कृत्य किया ही नहीं जा रहा है, तो वादीगण के हकूकों को आघात होने का प्रश्न ही कहां से पैदा होता है, ना ही वादीगण एवं उनके पति व पिता चौथीलाल के किसी प्रकार के कोई हकुक खातेदारी काश्तकारी एवं काबिजाने के उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 में निहित है और ना ह िवह किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय से हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है और दावा वादी मय खर्चा खारिज होने योग्य है। जब कोई निर्माण कार्य हम प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 4 द्वारा करवाया ही नहीं जा रहा है तो नाला व सड़क के सकडे होने या ना होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, ना ही वादीगण हम प्रतिवादीगण को कानूनन निषेधाज्ञा से आराजी खसरा नंबर 4784/1 के बाबत पाबंद कराने के अधिकारी है। आराजी खसरा नंबर 4815 का रकबा 4 बिस्वा अंकित किया है वह गलत है बल्कि उक्त आराजी खसरा नंबर 4815 का कुल करबा 7 बिस्वा है जो आराजी खसरा नंबर 4815 हम प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है, जिसमें किसी प्रकार के कोई हकूक वादीगण या दीगर किसी सख्स के निहित नहीं है और जिस आराजी को उपयोग उपभोग करने के पूर्ण अधिकार एकमात्र हममें निहित है, जिन लाफुल अधिकारों से हम प्रतिवादीगण को महरूम करने के कोई अधिकार वादीगण में कानूनन निहित नहीं है, ना ही वादीगण उक्त आराजी के उपयोग उपभोग करने के लॉफुल अधिकारों को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा वादीगण कानूनन चलने योग्य ना होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये हैः–

1. आया वादपत्र पैरा नंबर 1 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 4816 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वांके कस्बा करौली वादी की खातेदारी एवं काश्त की है।

   ––वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.1.12 को खसरा नंबर 4816 की मेंढ को तोड़कर बाउन्ड्री निर्माण कर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

   ––वादीगण

3. आया विवादित आराजी पर व़ादीगण का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है एवं वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

   ––प्रतिवादीगण

4. अनुतोष :–

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:50
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पप्पू के बयान प्रस्तुत किये है और दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण बंद की गई।

प्रतिवादीगण साक्ष्य में प्रतिवादी शिवजी का बयान शपथ पत्र पेश किया गया है। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादीगण एवं अशोक, महेश पिसरान चौथी एवं मुन्नी व शिवो पुत्रीयान चौथी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 4816 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा करौली तहसील व जिला करौली में वजीरपुर गेट से हाथीघटा की ओर जाने वाले सरकारी नाले के सहारे स्थित है। वादीगण की उक्त आराजी से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 4815 रकबा 4 बिस्वा प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अशोक, महेश मुन्नी एवं शिवों करौली से बाहर होने के कारण दावा हम वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण ने अपनी उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 की चारो ओर से डोल मेड कर रखी है वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य भी वादीगण ने अपनी भूमि में डोल के सहारे पट्टिया लगा रखी थी यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि के वदिशा पश्चिम सरकारी नाला स्थित है। जिस नाले में होकर शहर का पानी वजीरपुर गेट से कलेक्ट्री जाने वाली सड़क की ओर से हाथीघटा की ओर बहता है। उक्त नाला काफी चौडा होने के कारण सरकारी नाले में पीडब्ल्यू डी द्वारा मेढकी से होकर हाथीघटा के लिए पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और सड़क के दोनों ओर पानी निकास के लिए चौडी नालिया पीडब्ल्यू द्वारा बनाई जानी है। उक्त सडत्रक निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य वर्तमान में चालू है। प्रतिवादीगण ने सड़क व नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही अपनी भूमि खसरा नंबर 4815 के वदिशा पश्चिम सरकारी नाले व सड़क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर एवं वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 4816 की डोल–मेड व पट्टियों को कल दिनांक 29.1.2012 को तोड कर वादीगण की भूमि को शामिल करते हुए बाउण्ड्री निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में अवैध अतिक्रमण व निर्माण नहीं करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कहा कि [illegible] में से 5 बिस्वा जमीन को दबाते हुए व सरकारी नाले की करीब 3 बिस्वा जमीन दबाते हुए चारों ओर से बाउण्ड्री करके मैरिज होम का निर्माण करेंगे। प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में अतिक्रमण व अवैध निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और प्रतिवादीगण को सरकारी नाले की भूमि में भी अवैध अतिक्रमण व निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर आघात होगा और वादीगण को अपूर्णीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:50
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

क्षति होगी इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं करे और वादीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें। प्रतिवादीगण खसरा नंबर 4815 व 4816 के सहारे सरकारी नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने में सफल हो गये तो मौके पर मौजूद नाला व सड़क सकडी हो जावेगी और नाले के पानी का दबाब वादीगण की भूमि पर पडेगा इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को इस आशय के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण सरकारी नाला भूमि खसरा नंबर 4784/1 में कोई अतिक्रमण व अवैध निर्माण नहीं करें। प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 4815 रकबा 4 बिस्वा कृषि भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में कृषि किस्म बारानी दर्ज है विधि अनुसार भूमि रूपान्तरण कराये बिना कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि विरूद्व है और कृषि भूमि में बिना रूपान्तरण निर्माण किया जाना भी विधि विरूद्व है। प्रतिवादीगण खसरा नंबर 4815 व उससे लगी हुई वादीगण की भूमि खसरा नंबर 4816 व सरकारी नाले की भूमि को दबाते हुए अवैध निर्माण कर मैरिज होम अवैध रूप से बनाने की धमकी दे रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये और प्रतिवादीगण ने अपनी कृषि भूमि का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया तो वादीगण को अपनी भूमि के उपयोग एवं कब्जे काश्त में न्यूसेंन्स पैदा होगा प्रतिवादीगण का कृत्य अवैध है। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को इस आशय के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी नंबर 4 का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 4815 व 4816 का अलमशहूर मैढकी में स्थित होना सही है। जिसमें आराजी खसरा नंबर 4815 का रकबा 4 बिस्वा ना होकर 7 बिसव का है। जिसके खातेदारी इन्द्रजात राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 4816 पर कोई कब्जा कास्त वादीगण का या इससे पूर्व इनके पिता व पति चौथीलाल का उनके जीवन पर्यन्त तक कभी भी आज तक नहीं रहा है, ना ही इन्होंने उक्त आराजी में आज तक कोई काश्त ही की, ना ही किसी प्रकार के कोई हकूक उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 के बाबत आज तक वादीगण या इनके पिता व पति चौथीलाल में निहित रहे, बल्कि सही बात यह है कि उक्त आराजी पूर्व में गै.मु. आबादी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिस गै.मु. आबादी के कुल रकबे को विधि के प्रावधानों के विपरीत माग्या हरीजन के नाम से एलोटमेंट कर दिया गया और जिससे पूर्व कूटरचित दस्तावेज वादीगण के पिता व पति चौथीलाल द्वारा तहरीर करवाकर करवाकर अपने हक में वयनामा पंजीयन करवा लिया गया जिसकी जानकारी होने पर उसके पुत्रानों द्वारा उक्त हुये वयनामें को शून्य घोषित करवाकर अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाये जाने हेतु एवं स्थायी घोषणा करवाकर अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाये जाने हेतु एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा मय स्थगन दर0 के माननीय न्यायालय के उनवानी सरवन बनाम सफेदी वगै0 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें तारीख पेशी नियत है ना ही उक्त आराजी की कोई मेढबंदी मौके पर हो रही है बल्कि उक्त आराजी में पचासों कांटेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:50:2
Reason: SelfAttested

दरखत बबूल वगै0 के पेड खडे हुए है एवं झाडियां उग रही है इसके अलावा उक्त आराजी में गंदा पानी भरा होने के कारण कीचड भरा हुआ है। जिसमें सुअर व मवेशी पडे रहते है एवं इसी आराजी में होकर आम बस्ती कोली पाडा का बरसाती एवं इस्तेमालीली पानी गै.मु. नाले तक बहता आ रहा है। कभी भी कोई भौतिक कब्जा आज तक वादीगण या इनके पति व पिता चौथीलाल का नहीं रहा है। इस मद में वर्णित जो राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क व उसके दोनों ओर नाली बनाये जाने का तथ्य अभिकथित किया गया है वह भी गलत है, जो सड़क गै.मु. नाले में पानी के नैचुरल बहाव को समाप्त करके सरकार द्वारा बनायी गयी है, वह कतई विधि के प्रावधानों के विपरीत है जिस बाबत आम जनता की ओर से आवश्यक कार्यवाही सक्षम न्यायालयों में किये जाने हेतु आवश्यक नकले प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिन नकलों के प्राप्त होते ही उक्त गै. मु. नाले में बनायी गयी सड़क के बाबत अलग से कार्यवाही की जावेगी। हम प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 4815 में अवैध रूप से सरकारी नाले व सड़क की भूमि को दबाकर ना ही आराजी खसरा नंबर 4816 की आराजी ो अपनी आराजी खसरा नंबर 4815 में शामिल करते हुये बाउण्ड्रीवाल वगै0 बनायेजाने हेतु नींव वगै0 खोदकर तदाकथित दिनांक 19.01.2012 को या अन्य किसी निांक को आ तक नहीं किया गया, ना ही कोई निर्माण कार्य मौके पर है। जब वादीगण का उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 पर कोई कब्जा है ही नही ंतो उन्हें हमारे द्वारा उनको धमकी देने का प्रश्न कहां से पैदा हुआ। बल्कि सही बात यह है कि हम प्रतिवादीगण की कभी भी आज तक कोई बातचीत या विवाद वादीगण या उनके दीगर भाई बहिनों से आज तक कभी भी नहीं हुआ, केवल विनाय दावा लेने की बदनियति से वादीगण द्वारा आराजी खसरा नंबर 4815 के पडौसी गिर्राज भी भगत एवं उनके पुत्रानों के वहकावे में आकर अंकित किये गये है। और दावा वादीगण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। हम प्रतिवादीगण द्वारा जब कोई अनाधिकृत कृत्य किया ही नहीं जा रहा है, तो वादीगण के हकूकों को आघात होने का प्रश्न ही कहां से पैदा होता है, ना ही वादीगण एवं उनके पति व पिता चौथीलाल के किसी प्रकार के कोई हकुक खातेदारी काश्तकारी एवं काबिजाने के उक्त आराजी खसरा नंबर 4816 में निहित है और ना ह ैवह किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय से हम प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी है और दावा वादी मय खर्चा खारिज होने योग्य है। जब कोई निर्माण कार्य हम प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 4 द्वारा करवाया ही नहीं जा रहा है तो नाला व सड़क के सकडे होने या ना होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, ना ही वादीगण हम प्रतिवादीगण को कानूनन निषेधाज्ञा आराजी खसरा नंबर 4784/1 के बाबत पाबंद कराने के अधिकारी है। आराजी खसरा नंबर 4815 का रकबा 4 बिस्वा अंकित किया है जो सही है। उक्त आराजी खसरा नंबर 4815 का कुल करबा 7 बिस्वा है जो आराजी खसरा नंबर 4815 हम प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है, जिसमें किसी प्रकार के कोई हकूक वादीगण या दीगर किसी सख्स के निहित नहीं है और जिस आराजी को उपयोग उपभोग करने के पूर्ण अधिकार एकमात्र हममें निहित है, जिन लाफुल अधिकारों से हम प्रतिवादीगण को महरूम करने के कोई अधिकार वादीगण में कानूनन निहित नहीं है, ना ही वादीगण उक्त आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:30:
Reason: SetAttested

उपयोग उपभोग करने के लॉफुल अधिकारों को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अंत दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 01 व 02 एक–दूसरे के पूरक है। इसलिए इन दोनों विवाद्यकों का एक साथ किया जाना उचित है। विवाद्यक 01 व 02 को साबित करने के लिए वादीगण ने वादी पप्पू पीडब्ल्यू–1 का बयान शपथ–पत्र पेश किया है एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 व नक्शा सीट प्रदर्श–2 को प्रदर्शित कर साबित कराया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है। इस प्रकार खसरा नंबर 4816 वादीगण के खातेदारी की होना राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 से साबित है। अतः विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है। जिससे साबित होता हो कि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं हो। बल्कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से भूमि वादीगण की खातेदारी की होना एवं मौखिक साक्ष्य से कब्जा वादीगण होना प्रमाणित है। अतः विवाद्यक संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होना जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 से साबित है। वादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादीगण को प्रतिवादीगण को स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 4816 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वांके कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुरत्तब हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:50:21 I
Reason: SelfAttested

25/11

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली.